

(1)

UPSH010012072022



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), कक्ष संख्या-4, शाहजहाँपुर।  
उपस्थित-शिव कुमार-III-----एच0जे0एस0।

| विशेष सत्र वाद संख्या:-268 / 2022           |      |                                                                                   |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| उत्तर प्रदेश राज्य                          | बनाम | नरेन्द्र सिंह पुत्र मखन सिंह निवासी ग्राम भोपतपुर<br>थाना खुटार, जिला शाहजहाँपुर। |
| अपराध संख्या                                |      | 1319 / 2016                                                                       |
| अंतर्गत धारा                                |      | 138 (1)(बी) विद्युत अधिनियम।                                                      |
| थाना व जिला                                 |      | खुटार जिला शाहजहाँपुर।                                                            |
| वादी मुकदमा                                 |      | अवर अभियन्ता सचिन कुमार,                                                          |
| अभियुक्त                                    |      | नरेन्द्र सिंह                                                                     |
| प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)                     |      | विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुमुख सिंह                                                |
| घटना की तिथि                                |      | 14.10.2016                                                                        |
| प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि         |      | 14.10.2016                                                                        |
| आरोपपत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि |      | 287 / 2016<br>30.12.2016                                                          |
| आरोप विरचित किये जाने की तिथि               |      | 05.04.2023                                                                        |

उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श क:-

| क्र0सं0 | प्रदर्श संख्या | प्रपत्र का नाम | प्रमाणितकर्ता                                     |
|---------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1.      | प्रदर्श क-1    | लिखित तहरीरी   | साक्षी पी0डब्लू0-1 रविन्द्र नाथ कार्यालय<br>सहायक |

### निर्णय

1. अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध मु0अ0सं0-1319 / 2016 धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के मामले में वाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर दिनांक 22.02.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया है, जिसके आधार प्रस्तुत मामले का विचारण किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने थाने पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक-14.10.2016 को समय 00:00 बजे बहद स्थान ग्राम भोपतपुर थाना खुटार, जिला

## (2)

शाहजहांपुर के अंतर्गत विद्युत कर्मचारियों द्वारा विद्युत चेंकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें आप बकाया बिल पर संयोजन कटने के उपरान्त, बिना विद्युत बिल जमा किये, विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाए गये जो कि विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(बी) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

3. अभियुक्त को घरेलू कनेक्शन में विद्युत का उपभोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 (1)(बी)के अन्तर्गत विद्युत चोरी में होने से अवगत कराया तथा शमन शुल्क धारा 152 के अन्तर्गत अदा करने के प्रावधान से भी अवगत कराया परन्तु शमन शुल्क अदा करने से इन्कार कर दिया। तब वादी ने रिपोर्ट लिखकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(बी)के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की है।

4. उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0-1319/2016 पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी0डी0 में किया गया।

5. उक्त मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहान के बयान लिये। विवेचनापरान्त अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जो विशेष वाद सं0-268/2022, राज्य बनाम नरेन्द्र सिंह के रूप में दर्ज हुआ और अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन अपराध के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया। अभियुक्त को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता (230 बी0एन0एस0एस0) के अधीन नकलें आदि प्रदान की गयीं।

6. अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 138(1)(बी)विद्युत अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण का दावा किया।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.डब्लू.1 संजीव कुमार अवर अभियन्ता को परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्न है:-लिखित तहरीरी प्रदर्श क-1, चिक एफ0आई0आर0, नक्शा-नजरी एवं आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 बी0एन0एस0एस0) दर्ज किया गया, जिसमें उसने घटना को गलत होना बताया तथा मुकदमा गलत चलना बताया तथा अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

11. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत चेंकिंग अभियान के दौरान बिजली चोरी की जा रही थी, यदि उसके द्वारा पैसा जमा भी कर दिया गया है तो इससे उसका अपराध समाप्त नहीं हो जाता है। अतः उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जाये।

### (3)

बचाव पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

12. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

#### निष्कर्ष

13. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(1)ख के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले के अवधारण के लिये निम्नांकित प्रश्नों का विनिश्चय किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

14. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:—क्या अभियुक्त द्वारा विद्युत चैकिंग अभियान के दौरान विद्युत चोरी की जा रही थी?

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0-1 रविन्द्र नाथ कार्यालय सहायक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि “चैकिंग घटना दिनांक 22.09.2016 अवर अभियंता सचिन कुमार व अन्य कर्मचारियों के साथ ग्राम भोपतपुर थाना खुटार में विद्युत बिल बकाया पर विच्छेदित किये गये संयोजनो हेतु चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें नरेन्द्र कुमार पुत्र मखन सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिस पर अवर अभियंता सचिन कुमार द्वारा थाना खुटार में दी गयी और नरेन्द्र के विरुद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसकी तहरीर मेरे सामने मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क-01 डाला गया है।”

अग्रेतर अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि “बाद में नरेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त बाद से सम्बन्धित समस्त विद्युत देय जमा कर दिया गया है।” इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि “यह कहना सही है कि नरेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त बाद से सम्बन्धित समस्त विद्युत देय जमा कर दिया गया है।”

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यद्यपि बिजली विभाग में बकाया धनराशि जमा कर दी गयी है परन्तु बकाया धनराशि जमा करने से अभियुक्त का अपराध समाप्त नहीं हो जाता है, परन्तु अभियुक्त का उक्त अपराध शमनीय प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क अदा किया जा चुका है। जिसकी रसीदें पत्रावली पर संलग्न है।

16. धारा 152 (2) विद्युत अधिनियम यह उपबन्धित करता है कि “उपधारा (1) के अनुसरण में धनराशि के भुगतान पर, उस अपराध से सम्बन्धित अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा और कोई भी कार्यवाही किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित या जारी नहीं रखी जाएगी।”

धारा 152 (3) के अनुसार “समुचित सरकार या इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उप-धारा(1) के अनुसरण में अपराध का शमन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति को दण्ड प्रक्रिया संहिता,

(4)

1973 (1974 का सं.-2) की धारा 300 के अर्थ के अंदर दोषमुक्ति में परिवर्तित माना जाएगा।”

17. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा विद्युत अधिनियम की धारा 152 को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नरेन्द्र सिंह, मु0अ0सं0-1319/2016 विशेष वाद सं0-268/2022, धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम, थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के मामले में दोषमुक्ति किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र मखन सिंह निवासी ग्राम भोपतपुर थाना खुटार, जिला शाहजहाँपुर को धारा 152 विद्युत अधिनियम के प्रकाश में मु0अ0सं0-1319/2016 विशेष वाद सं0-268/2022, धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम, थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के मामले में आरोपित आरोप से दोषमुक्ति किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437ए दं.प्र.संहिता (481 बी0एन0एस0एस0) के अनुपालन में अभियुक्त 25,000/-रुपये के दो जमानती व इसी धनराशि का बंध-पत्र अन्दर सप्ताह न्यायालय में दाखिल करे, जो अपील की अवधि 06 माह के लिये प्रभावी होंगे। उसके उपरान्त यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे।

दिनांक-04.08.2026

( शिव कुमार-III )  
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4  
शाहजहाँपुर।  
जे0ओ0सं0-यू0पी0-6453

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-04.08.2026

( शिव कुमार-III )  
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4  
शाहजहाँपुर।  
जे0ओ0सं0-यू0पी0-6453